कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोजगार

(प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश)

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

भारत सरकार
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

एफ. सं. के-14014/1/2013-यूपीए
भारत सरकार
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
(यूपीए प्रभाग)

निमार्ण भवन, नई दिल्ली
दिनांक:13 दिसम्बर, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्याम से रोजगार के लिए प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के लिए दिशा-निर्देश दिनांक 24 सितंबर, 2013 के का.ज्ञा. सं. के-14011/1/2013-यूपीए के तहत जारी किए जा चुके हैं।

2. एनयूएलएम के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोजगार के लिए प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश संलग्न हैं। जिनका अनुपालन सभी कार्यान्वतयन एजेंसियां करेंगी। ये दिशा-निर्देश आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए गए हैं तथा इसे http://mhupa.gov.in/NULM_Mission/NULM_Mission.htm. से प्राप्त किया जा सकता है।

3. इसे माननीय आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता./-
(बी.के. अग्रवाल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

विषय सूची

अध्याय-1: प्रस्तावना एवं उद्देश्य 1

अध्याय-2: कौशल प्रशिक्षण मॉड्यूल 1

2.1 कौशल अंतराल विश्लेषण 1

2.2 पाठ्यक्रम निर्धारण 2

2.3 व्यवहारिक कौशल 3

2.4 पाठ्यक्रम की अवधि 3

अध्याय-3: लागत और भुगतान मानक 4

अध्याय-4: प्रमाणीकरण 4

अध्याय-5: कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (एसटीपी) 6

5.1 अभिनिर्धारण 6

5.2 कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं हेतु प्रस्ताव निवेदन 6

5.3 प्रशिक्षण पश्चात सहायता 7

5.4 प्रशिक्षण पश्चात निगरानी 8

अध्याय-6: प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) और रिपोर्टिंग 8

अध्याय-7: प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थी 9

7.1 अभ्यर्थियों की अर्हता 9

7.2 जागरूकता लाना और मांग बढ़ाना 9

1. प्रस्तावना एवं उद्देश्य :

मार्च 2009 में जारी की गई राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के अनुसार वर्ष 2022 तक कुशल कार्यबल/श्रम की मांग लगभग 50 मिलियन/500 लाख हैं। बढ़ते शहरीकरण की वजह से, 12वी पंचवर्षीय योजना के दौरान 50 मिलियन गैर कृषि रोजगार अवसरों का निर्माण होगा और लगभग इतनी ही संख्या में लोगों को प्रमाणित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के तहत 'कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोजगार' (ईएसटी एंड पी) घटक का निर्माण अकुशल शहरी गरीबों को कौशल प्रदान कराने हेतु और साथ ही साथ उनकी वर्तमान तकनीक को उन्नत करने के लिए ही किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा ताकि उन्हें अपने स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने और निजी क्षेत्र में वैतनिक नौकरियां हासिल करने योग्य बनाया जा सके। ईएसटी एंड पी कार्यक्रम का लक्ष्य बाजारोन्नमुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से स्थानीय कौशल की मांग एवं उपलब्धता के बीच की खाई पाटना है।

उद्देश्य

कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोजगार (ईएसटी एंड पी) कार्यक्रम का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित है:-

- शहरी गरीबों को स्थायी आजीविका हेतु एक कौशल के रूप में परिसम्पत्ति प्रदान करना।
- वैतनिक रोजगार और/अथवा स्वरोजगार अवसरों की उपलब्धता कराने वाले एक व्यवस्थित, बाजारोन्नमुख प्राथमिक पाठ्यक्रम/कोर्स के माध्यम से शहरी गरीबों की आय को बढ़ाना जो स्वत: धीरे-धीरे उनके जीवन स्तर को बढ़ाएगा और सुस्थिर आधार पर शहरी गरीबी का उपशमन करेगा।
- राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में समग्र विकास के साथ-साथ कुशल शहरी गरीबों का योगदान बढाना सुनिश्चित करना।

2. कौशल प्रशिक्षण मॉड्यूल

2.1 कौशल अंतराल विश्लेषण

उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उद्योगों की मांगानुसार और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत पाठ्यक्रमानुसार कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। कौशल हेतु औद्योगिक मांग का आकलन/निर्धारण केवल नगर स्तर पर, व्यापक कौशल अंतराल विश्लेषण द्वारा ही किया जा सकता है। कौशल अंतराल विश्लेषण द्वारा उद्योगानुसार प्रशिक्षित कार्यबल की मांग, आवश्यक कौशल की प्रकृति तथा पारिश्रमिक रोजगारों और स्व-रोजगारों दोनों

हेतु ईएसटी एंड पी के लिए चुने जाने वाले व्यवसायों की स्पष्ट तस्वीर सामने आ पायेगी। कौशल-अंतराल विश्लेषण (एसजीए) ये भी बतायेगा कि प्रत्येक व्यवसाय हेतु पाठ्यक्रम की प्रकृति और अवधि क्या होनी चाहिए। इस प्रकार के किसी भी अध्ययन का अनुमान 5 वर्षीय अवश्य होना चाहिए। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किए गए कौशल-अंतराल विश्लेषण को राज्य शहरी आजीविका मिशन को भेजा जा सकता है। राज्य शहरी आजीविका मिशन कौशल-अंतराल विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास समिति की सेक्टर कौशल परिषद, तकनीकी विश्वविद्यालयों, राज्य के श्रम और नियोजन विभाग, राज्य उद्यम विभाग, राज्य प्रायोजित अनुसंधान संस्थानों, राज्य औद्योगिक संघ या किसी अन्य सक्षम एजेंसी की मदद ले सकता है।

कौशल-अंतराल विश्लेषण नये उभरते उद्योगों में रोजगार की मांग प्रदर्शित करेगा और स्थानीय क्षेत्र में स्व-उद्यम स्थापित करने के अवसरों की पहचान भी करेगा। कौशल प्रशिक्षण, स्थानीय क्षेत्र की सबसे अधिक मांग को ध्यान में रखकर प्रदान किया जाना चाहिए तथापि ऐसे पाठ्यक्रम जो कौशल अन्तराल विश्लेषण के अंतर्गत चिन्हित न किये गये हों किन्तु अभ्यर्थी ऐसे अन्य क्षेत्रों के कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में स्थानांतरित होने के इच्छुक हों तो ऐसे पाठ्यक्रम भी चलाये जा सकते हैं।

2.2. पाठ्यक्रम निर्धारण

कौशल-अंतराल विश्लेषण (एसजीए) द्वारा चिन्हित कौशल व्यापारों का एक औपचारिक मानक पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसकी रूप रेखा उद्योगो की मांग, मूल्यांकन की आवश्यकता और प्रमाणीकरण की जरूरत के अनुरूप होनी चाहिए।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के अंतर्गत सेक्टर कौशल परिषदों द्वारा राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों (एनओएस) का विकास किया जा चुका है। एनओएस में कार्य स्थान में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कार्य करने हेतु निष्पादन मानकों का उल्लेख किया गया है। एनओएस का निर्धारण नियोक्ताओं द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत सेक्टर कौशल परिषदों के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों (एनओएस) और चिन्हित कार्य भूमिकाएं, राष्ट्रीय कौशल नीति में यथा वर्णित राष्ट्रीय/व्यावसायिक शिक्षा योग्यता कार्यढांचे (एनवीईक्यूएफ) के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार हैं। राज्य शहरी आजीविका मिशन (एसयूएलएम) अपने पाठ्यक्रमों को तय करते समय एनओएस और एनवीईक्यूएफ की आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कौशल विकास प्रोत्साहन स्कीम के अंतर्गत आदर्श नियोजनीय कौशल (एमईएस) पाठ्यक्रमों की सूची के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए पाठ्यक्रम का अनुसरण कौशल-प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों हेतु किया जाना चाहिए। यदि एमईएस कोर्सों में किसी विशेष कौशल प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम नहीं है तो राज्य इनके लिए एक औपचारिक पाठ्यक्रम अनुमोदित कर सकता है।

ईएसटी एंड पी के अंतर्गत किसी भी प्रशिक्षण कोर्स के लिए मानक पाठ्यक्रम का निर्धारण किसी सक्षम तकनीकी एजेंसी के परामर्श से किया जाना चाहिए, जैसे कि तकनीकी विश्वविद्यालय/कालेज, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की सेक्टर कौशल परिषद आदि। पाठ्यक्रम का निर्धारण कार्य कौशल प्रशिक्षण प्रदाता पर ही नहीं छोड़ देना चाहिए अपितु समस्त कोर्सों को राज्य शहरी आजीविका मिशन द्वारा उपर्युक्त एजेंसियों की सलाहानुसार अनुमोदित किया जाना चाहिए ताकि प्रशिक्षुओं हेतु मानकीकरण एवं रोजगार अवसरों की सुनिश्चितता की जा सके। प्रशिक्षण कोर्सों के प्रारूप/मॉड्यूल को स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुरूप और राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर स्वीकार्य होना चाहिए। कोर्स के पाठ्यक्रम औद्योगिक मानकों के अनुरूप प्रमाणीकरण सुनिश्चित करके डिजाइन किया जाना चाहिए।

2.3 व्यावहारिक कौशल

विशिष्ट कौशलों पर बुनियादी कौशल प्रशिक्षण देने के साथ-साथ प्रशिक्षण कोर्सों के माड्यूल/प्रारूप में निम्नलिखित माड्यूलों को भी पाठ्यक्रम के साथ समेकित किया जाना चाहिए:-

(क) व्यावहारिक कौशल- संप्रेषण कौशल (इंगलिश और स्थानीय भाषा में) बुनियादी कम्प्यूटर संचालन (कम्प्यूटर प्रशिक्षण कोर्स के अतिरिक्त अन्य कोर्स हेतु) व्यावसायिक शिष्टाचार आदि।

(ख) वित्तीय साक्षरता- बचत, ऋण/सब्सिडी, विप्रेषण, बीमा तथा पेंशन संबंधी अभिमुखी और जागरूकता।

(ग) अन्य सरकारी योजनाएं- प्रशिक्षुओं को अन्य सरकारी योजनाओं (एनयूएलएम के अन्य घटको सहित) और गरीबी उपशमन के लिए पात्रताओं के बारे में भी सूचनाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। शहरी स्थानीय निकाय इन योजनाओं एवं पात्रताओं तक शहरी गरीबों की पहुँच को सुलभ बनायेंगे।

उपर्युक्त तत्व प्रशिक्षुओं को दीर्घ अवधि तक स्थायी तौर पर सहायता प्रदान करेंगे।

2.4 पाठ्यक्रम की अवधि

अधिमान्यत: यह कि ईएसटी एण्ड पी के अंतर्गत सभी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रमों की अवधि न्यूनतम 3 माह (लगभग 400 घंटे तकनीकी प्रशिक्षण व 30 घंटों का अतिरिक्त व्यावहारिक कौशल प्रशिक्षण) होगी और प्रति प्रशिक्षु 15,000 रूपये (पूर्वोत्तर और विशेष राज्यों के लिए 18,000 रूपये) की लागत आएगी। तथापि ट्रेड और पाठ्यक्रम मॉड्यूल के आधार पर एसयूएलएम विभिन्न अवधि के प्रशिक्षण निर्धारित कर सकता है। यदि एमईएस पाठ्यक्रम का अनुसरण किया जा रहा हो तो बुनियादी और उच्च स्तरीय कौशल प्रशिक्षण कोर्सों को जोड़कर कम से कम 430 घंटे का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

3. लागत और भुगतान मानक

ईएसटी एंड पी के अंतर्गत प्रति प्रशिक्षु प्रशिक्षण हेतु अधिकतम 15,000/ रूपये तक की सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, (पूर्वोत्तर तथा जम्मू कश्मीर राज्य हेतु प्रति प्रशिक्षु 18,000 रूपये) तथापि प्रशिक्षण लागत कोर्सों के पाठ्यक्रम, कोर्स के लिए आवश्यक अवस्थापना और सामग्री व कोर्स अवधि आदि के आधार पर भिन्न-भिन्न होगी। प्रशिक्षण लागत में, प्रशिक्षु प्रोत्साहन, पाठ्यक्रम संरचना, प्रशिक्षक हेतु शुल्क, प्रशिक्षण के लिए अपेक्षित सामग्री, मूल्यांकन तथा प्रमाणीकरण, नियोजन सम्पर्क सूत्रों, प्रबंधन सूचना तंत्र और नियोजन पश्चात प्रशिक्षु मार्गदर्शन शामिल है। अवस्थापना विकास लागत हेतु इस घटक के तहत किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध नही करायी जायेगी।

एसयूएलएम अधिमान्यत: 3 अथवा अधिक किस्तों अर्थात 30:50:20 में भुगतान की अवधि निर्धारित कर सकता है। पहली दो किस्तें प्रशिक्षण शुरू होने, पूर्ण होने और प्रशिक्षु के प्रमाणन पर आधारित हो सकती हैं तथा प्लेसमेंट/उद्यम विकास और 6 माह के लिए प्रशिक्षुओं की ट्रेकिंग पर अंतिम 20 प्रतिशत का भुगतान किया जा सकता है। तथापि एसयूएलएम किसी अन्य भुगतान शर्तों और निबन्धनों के संबंध में निर्णय ले सकता है। एसटीपी माइक्रो उद्यम विकास के लिए सहायता प्रदान किए गए प्रशिक्षुओं तथा 6 माह की अवधि के लिए रोजगार उपलब्ध कराए गए प्रशिक्षुओं को ट्रेक करेगा।

उपर्युक्त राशि एनयूएलएम के तहत प्रदान की जाने वाली अधिकतम सहायता राशि है। इसके बावजूद यदि प्रशिक्षण लागत इससे अधिक हो तो अतिरिक्त राशि राज्य सरकार द्वारा अथवा कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा वहन की जायेगी।

4. प्रमाणीकरण

प्रत्येक सफल अभ्यर्थी को जिसने एनयूएलएम के घटक ईएसटी एंड पी के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, उसे औद्योगिक वर्ग द्वारा स्वीकार्य सक्षम एजेंसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा। प्राप्त कौशल का मूल्यांकन एक स्वतंत्र प्रमाणीकरण एजेंसी के माध्यम से किया जायेगा। प्रशिक्षण एजेंसी को प्रशिक्षुओं के मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण से खुद पृथक रखना चाहिए ताकि निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित हो सके।

प्रमाणीकरण एजेंसी का चयन राज्य शहरी आजीविका मिशन (एसयूएलएम) द्वारा उनकी गुणवत्ता, निष्पक्षता और पूर्व-रिकार्ड के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रमाणीकरण प्रक्रिया में शामिल सरकारी अथवा अर्द्धसरकारी एजेंसियों जैसे कि राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, राजकीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद आदि को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। राज्य, अभ्यर्थियों के मूल्यांकन और प्रमाणन हेतु सेक्टर कौशल परिषदों, राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) तकनीकी विश्व विद्यालयों, राष्ट्रीय स्तर के औद्योगिक संघों यथा एएसएसओसीएचएएम, एनएएसएससीओएम आदि संस्थाओं को, उनके द्वारा इस कार्य को किये जा सकने की सक्षमतानुसार नियुक्त कर सकता है।

राज्य शहरी आजीविका मिशन (एसयूएलएम) प्रमाणीकरण एजेंसियों के साथ एक सहमति पत्र निस्पादित करेगा जिसमें ये स्पष्ट रूप से वर्णित किया जायेगा कि कौन से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रमाणित किये जाने हैं, परिचालन क्षेत्र क्या होगा, प्रशिक्षण दिये जाने के मानक, समय सीमा एवं प्रक्रिया क्या होगी, और एजेंसियों द्वारा ली जाने वाली फीस क्या होगी। एसयूएलएम द्वारा प्रमाणीकरण की फीस का निर्धारण पाठ्यक्रम तथा सक्षम तकनीकी एजेंसियों के परामर्श के आधार पर किया जाना चाहिए। फीस सीधे प्रमाणीकरण एजेंसी को दी जायेगी और इसे प्रशिक्षण शुल्क का ही एक भाग समझा जायेगा।

ऐसा ही कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए जारी किये गये विचारार्थ विषयों (टीओआर) में उल्लिखित किया जाना चाहिए। टीओआर में सफल अभ्यर्थियों के मूल्यांकन और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। कौशल प्रशिक्षण प्रदाता, नियुक्त प्रमाणीकरण एजेंसियों के माध्यम से प्रमाणपत्रों को जारी एवं वितरित किये जाने की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

शहरी स्थानीय निकाय/राज्य शहरी आजीविका मिशन, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति/जिला स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से ये सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रमाणपत्रों को बैंको से उद्यम ऋण लेने हेतु वैध दस्तावेज माना जाये।

जैसे ही अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण को पूरा कर लिया जायेगा और वे मूल्यांकन हेतु तैयार होंगे, कौशल प्रशिक्षण प्रदाता(एसटीपी) संबंधित प्रमाणीकरण एजेंसी को सूचित करेंगे और ये बतायेंगे कि कितने अभ्यर्थियों का मूल्यांकन किया जाना है, ट्रेडों का आकलन किया जाना है तथा प्रशिक्षण केन्द्र कहाँ अवस्थित है। प्रमाणीकरण एजेंसियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदाता से आवेदन प्राप्त होने के पश्चात 30 दिनों के अन्दर मूल्यांकन और परिणामों की घोषणा किया जाना सुनिश्चित करना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी मूल्यांकन में असफल होता है तो उसे मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण हेतु पुनः प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ऐसे असफल अभ्यर्थियों के पुनः प्रशिक्षण और पुनः मूल्यांकन की लागत कौशल प्रशिक्षण प्रदाता को वहन करनी होगी। राज्य शहरी आजीविका मिशन केवल सफल एवं प्रमाणित अभ्यर्थियों की प्रशिक्षण लागत कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को वापस करेंगे।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास प्रोत्साहन (एसडीआई) योजना के अर्न्तगत मूल्यांकन निकायों को चिन्हित किया है (इनकी सूची एवं सम्पर्क विवरण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।)। प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के मूल्यांकन के आधार पर, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) द्वारा इन्हें प्रमाणपत्र प्रदान किये जायेंगे। शहरी स्थानीय निकाय/राज्य शहरी आजीविका मिशन कौशल विकास प्रोत्साहन योजना के तहत लागू मूल्यांकन और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को अपना सकते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अपनी सामुदायिक कालेज योजना के अंतर्गत सफल अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता कार्यढांचा के अनुसार प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। राज्य शहरी आजीविका मिशन भी ऐसी ही राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रमाण पत्रों को प्रदान करने की कोशिश कर सकते हैं।

5. कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (एसटीपी):

5.1. अभिनिर्धारण

राज्य शहरी आजीविका मिशन बोली प्रक्रिया के माध्यम से निजी कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं की नियुक्ति कर सकते हैं। इनका चयन संगठन की तकनीकी योग्यता, अनुभव और प्रशिक्षण लागत के संयुक्त मानदण्डों के आधार पर किया जाना चाहिए। राज्य शहरी आजीविका मिशन को कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं का सख्त तकनीकी मूल्यांकन करना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया गया है।

राज्य शहरी आजीविका मिशन सीधे भी सरकारी संस्थानों जैसे कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), पालीटेक्निक कालेजों, तकनीकी विश्वविद्यालयों आदि के साथ समझौता कर सकता है। जिसमें जुटाव, प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण, बैंक-सम्पर्कों, अनिवार्य नियोजन/स्वरोजगार स्थापना और सफल अभ्यर्थियों की निगरानी आदि के तौर तरीकों का विस्तृत उल्लेख होगा।

राज्य शहरी आजीविका मिशन भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित किसी भी अन्य कौशल प्रशिक्षण परियोजनाओं के सफल मॉडल को अपना सकता है। राज्य शहरी आजीविका मिशन औद्योगिक घरानों/ औद्योगिक संघों के माध्यम से भी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करा सकता है जो प्रशिक्षित लाभार्थियों को आन्तरिक नियोजन उपलब्ध करा सकता है।

कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं का मनोनयन उनके संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर 3 वर्षों तक वैद्य होगा।

समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रमाणीकरण एक स्वतंत्र वाह्य संस्था द्वारा किया जाना चाहिए न कि कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा।

राज्य शहरी आजीविका विचारार्थ विषयों (टीओआर) के प्रारूप को तैयार करने तथा कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं के आकलन, मूल्यांकन एवं निगरानी हेतु वाह्य पेशेवर एजेंसियों, विश्वविद्यालयों तथा शैक्षिक संस्थानों आदि की सेवाएं भाड़े पर ले सकते हैं। ये खर्चे एनयूएलएम के तहत प्रशसनिक एवं अन्य खर्चों (ए एडं ओ) में शामिल कर लिए जायेंगे।

5.2. कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं हेतु प्रस्ताव निवेदन

राज्य शहरी आजीविका मिशन सरकारी कौशल प्रशिक्षण एजेंसियों के साथ परामर्श करके और राज्य कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुमोदित अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं के मनोनयन हेतु बोली प्रक्रिया अपनायेंगे। कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं हेतु प्रस्ताव आमंत्रण में निम्नलिखित खण्डों का आवश्यक रूप से विवरण होना चाहिए:-

(i) तकनीकी मूल्यांकन के मानक और प्रक्रिया।

(ii) प्रस्ताव निवेदन और मनोनयन की कालावधि।

(iii) निष्पादन गारण्टी की राशि।

(iv) प्रशिक्षुओं की अनुमानित संख्या, अवस्थिति, और पाठ्यक्रम का विवरण।

(v) प्रमाणित एजेंसियों की सूची, प्रमाणीकरण की प्रक्रिया एवं लागत का विस्तृत विवरण।

(vi) न्यूनतम 50 प्रतिशत सफल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का नियोजन अथवा स्व उद्यम स्थापना हेतु सहायता के साथ-साथ प्रशिक्षण पश्चात सहयोग की शर्तें।

(vii) अन्य प्रदेय सुविधाएं जैसे कि सूचना प्रारूप, रिपोर्टिंग प्रक्रिया, अभ्यर्थियों का वित्तीय समावेशन, प्रशिक्षुओं के डाटाबेस का अनुरक्षण आदि।

(viii) भुगतान के निबन्धन व शर्तें, इस शर्त सहित कि अन्तिम किश्त केवल तभी जारी की जायेगी जबकि सफलतापूर्वक नियोजन किया जा चुका होगा अथवा सफल प्रशिक्षण पश्चात उद्यम विकास तथा निगरानी के 6 माह व्यतीत हो चुके होंगे।

(ix) संविदा और सेवाओं में यथा उल्लिखित शर्तों का पालन नहीं किए जाने हेतु शास्ति।

(x) अनुबंध समाप्ति की प्रक्रिया।

5.3 प्रशिक्षण पश्चात सहायता

कौशल प्रशिक्षण प्रदाता को सभी सफल अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने अथवा स्व-उद्यम स्थापित करवाने की दिशा में कार्य करना होगा। कौशल प्रशिक्षण प्रदाता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह न्यूनतम 50 प्रतिशत सफल अभ्यर्थियों को नियोजित करवाये अथवा स्व-उद्यम स्थापना में सहायता प्रदान करे, ऐसा करने में अक्षम होने पर उन्हें अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपयुक्त शस्ति का पात्र होना होगा।

रोजगार नियोजन:- सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने पर कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पूरा होने के एक माह के अन्दर ही उपयुक्त रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

लघु उद्यम:- सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के 3 माह के भीतर ही कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को जो स्व-उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, आवश्यक सहायता प्रदान की जायेगी। कौशल प्रशिक्षण प्रदाता अभ्यर्थियों को प्रस्ताव तैयार करने में, बैंक ऋण सुनिश्चित करने में और लघु उद्यम विकास से संबंधित किसी भी योजना के तहत दिये जा रहे अनुदान प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करेंगे। जैसे एनयूएलएम के तहत स्व-रोजगार कार्यक्रम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई) के तहत प्रधानमंत्री रोजगार गारण्टी योजना (पीएमईजीपी) और कलस्टर विकास योजना अथवा ऐसी कोई भी अन्य योजना आदि।

वित्तीय रूप से शामिल करना: कौशल प्रशिक्षण प्रदाता उन सभी अभ्यर्थियों के बुनियादी बचत बैंक जमा खाता भी खुलवाएगें जिनके पास कोई बचत खाता नहीं है।

5.4 प्रशिक्षण पश्चात निगरानी

कौशल प्रशिक्षण प्रदाता के लिए आवश्यक होगा कि वह सफल अभ्यर्थियों की 12 माह तक निगरानी रखे। प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी के विवरण जैसे कि नियुक्ति पत्र, समग्र वेतन आदि का अनुरक्षण किया जाना चाहिए जिसे

किसी भी क्षेत्र में पारिश्रमिक रोजगार प्राप्त हुआ हो और इसे एसटीपीएस के साथ किये गये अनुबंध की शर्तों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों/राज्य शहरी आजीविका मिशन को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ऐसे अभ्यर्थी जो लघु उद्यम स्थापित करने हेतु इच्छुक हों तो उन्हें सहायता उपलब्ध कराना और अगले 6 माह तक इन लघु उद्यमों की प्रगति पर निगरानी रखना कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं की जिम्मेदारी होगी।

6. प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और रिपोर्टिंग

कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं हेतु: प्रशिक्षण की प्रगति, नियोजन और सूक्ष्म उद्यम की स्थापना संबंधी समस्त सूचना शहरी स्थानीय निकायों/राज्य शहरी आजीविका मिशन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व कौशल प्रशिक्षण प्रदाता का होगा। सूचना उपलब्ध कराने के प्रारूप और आवधिकता का उल्लेख कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं हेतु विचारार्थ विषय (टीओआर) में किया जाना चहिए।

कौशल प्रशिक्षण प्रदाता को ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) का विकास एवं अनुरक्षण भी करना होगा, जिसके तहत उसे अभ्यर्थियों से संबंधित समस्त सूचनाओं जैसे कि उनके सम्पर्क-विवरणों, बैंक खातों के ब्यौरे, मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण की स्थिति, नियोजन अथवा सूक्ष्म उद्यम के स्थापन की स्थिति आदि को, वेबसाईट पर अद्यतन करना होगा। कौशल प्रशिक्षण प्रदाता अभ्यर्थियों और प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी समस्त सूचनाओं तक राज्य शहरी आजीविका मिशन और शहरी स्थानीय निकायों को पहुंच उपलब्ध करायेगा। जैसे ही और जब भी एनयूएलएम हेतु राष्ट्रीय प्रबंधन सूचना प्रणली का आरम्भ होगा ये कौशल प्रशिक्षण प्रदाता का दायित्व होगा कि वह मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट तरीके से सूचनाओं को अद्यतन करे।

राज्य शहरी आजीविका मिशन/ शहरी स्थानीय निकायों हेतु: रिपोर्टिंग और मूल्यांकन शुरू करने के लिए राज्य स्तर पर एसएमएमयू तथा यूएलबी स्तर पर सीएमएमयू इस घटक के अंतर्गत गतिविधियों/लक्ष्यों की प्रगति की करीब से निगरानी करेंगे। एसयूएलएम तथा यूएलबी/कार्यान्वनयन एजेंसियां मासिक तथा तिमाही के अंत तक की संचमी उपलब्धि और क्रियान्वयन के मुख्य मामलों को दर्शाती सामायिक प्रगति के संबंध में समय-समय पर मिशन निदेशालय को निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट करेगी।

इसके अतिरिक्त, एनयूएलएम के अंतर्गत लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की ट्रैकिंग हेतु एक व्यापक तथा मजबूत आईटी आधारित एनयूएलएम एमआईएएस स्थापित की जाएगी। राज्यों तथा यूएलबी को अपनी प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी तथा इसका प्रयोग ग्राउन्ड स्तर पर प्रगति की निगरानी के लिए भी किया जा सकता है। एनयूएलएम के अंतर्गत सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से ईएसटी एंड पी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रगति रिपोर्ट सामयिक आधार पर सार्वजनिक भी की जाएगी।

7. प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी

7.1. अभ्यर्थियों की अर्हता

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोजगार (ईएसटी एंड पी) के अर्न्तगत प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन केवल शहरी गरीब परिवारों के बीच से किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों के चयन हेतु निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाना चाहिए:-

(i) उसने पिछले तीन वर्षों के दौरान (एसजेएसआरवाई/एनयूएलएम) के तहत किसी भी शाखा का कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त नही किया हो। तथापि अभ्यर्थी को पूर्व में प्राप्त किये गये किसी भी प्रकार के कौशल प्रशिक्षण हेतु उन्नत प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सकता है।

(ii) अभ्यर्थी को राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आवश्यक न्यूनतम अर्हता को पूरा किया जाना चाहिए।

(iii) प्रशिक्षित किये गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की संख्या का प्रतिशत शहर की जनसंख्या में उनके प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

(iv) कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन के माध्यम से रोजगार (ईएसटी एडं पी) के तहत राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के कुल लाभार्थियों में से, 30 प्रतिशत महिलाएं, 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय से और कम से कम 3 प्रतिशत विकलांग वर्ग से होने चाहिए। तथापि, शाखा और क्रियान्वयन क्षेत्र के आधार पर यदि उपर्युक्त न्यूनतम प्रतिशत अपेक्षा सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा पूर्ण न हो सकती हो तो एसयूएलएम उपर्युक्त उपेक्षित समुदायों हेतु लक्षित विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर सकते हैं।

7.2. जागरूकता लाना तथा मांग बढ़ाना

लक्षित समुदायों में जागरूकता लाने तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु मांग बढाने के लिए राज्य शहरी आजीविका मिशन (एसयूएलएम) द्वारा निम्नलिखित रणनीति अपनाई जा सकती है:-

(i) राज्य शहरी आजीविका मिशन और शहरी स्थानीय निकाय को कौशल प्रशिक्षण अवसरों सम्बन्धी सूचना उपलब्ध कराने और संभावित अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने हेतु नियमित रूप से समाचार पत्रों, रेडियो, टीवी, पोस्टरों, वॉल-पेटिंग, स्वयं सहायता समूह की सभाओं आदि के माध्यम से वृहद संचार अभियान संचालित करना चाहिए।

(ii) कोर्स सम्बन्धी सूचना, कालावधि, प्रशिक्षण स्थान, कौशल प्रशिक्षण प्रदाता का नाम एवं विवरण आदि समस्त शहरी स्थानीय निकायों, नगर आजीविका केन्द्रों अथवा सरकार द्वारा स्थापित किसी भी अन्य शहरी केन्द्र पर उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

(iii) अभ्यर्थियों को एक सादे कागज पर सामान्य विवरणों, जैसे कि नाम, आयु, सम्पर्क-विवरण, अपेक्षित प्रशिक्षण का नाम, आधार कार्ड संख्या अथवा अन्य पहचान पत्र आदि सहित, प्रशिक्षण प्राप्त करने के आशय पत्र को जमा करने की अनुमति दी जानी चाहिये। संभावित अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त करने का आशय पत्र निर्दिष्ट केन्द्र पर सीधे व्यक्तिगत रूप में अथवा मेल द्वारा या डाक द्वारा जमा कर सकते हैं। आशय पत्र के जमा किये जाने पर, उसकी रजिस्टर में प्रविष्टि की जायेगी और आवेदक को एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या जारी की जायेगी। इस प्रकार शहरी गरीबों द्वारा अपेक्षित विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु संभावित अभ्यर्थियों की एक प्रतीक्षा सूची तैयार हो जायेगी। शहरी स्थानीय

निकाय वर्ष भर ऐसे आशय पत्रों को स्वीकार करेंगे। शहर में अपेक्षित प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने पर उक्त रजिस्टर का उपयोग अभ्यर्थियों के एकत्रण हेतु किया जाना चाहिए। आवेदन, नगर निगम कार्यालयों, वार्ड कार्यालयों, शहरी स्थानीय निकायों, क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों, सामुदायिक संगठन कर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों के क्षेत्र स्तरीय संघो और नगर स्तरीय संघो, एनयूएलएम के कार्यालयों या प्रशिक्षण केन्द्रों, पैनल में डाले गए कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं और एनयूएलएम से संबंधित किसी भी अन्य संस्थान द्वारा स्वीकार किये जा सकेंगे। ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि अभ्यर्थियों को ''प्रशिक्षण प्राप्त करने का आशय पत्र'' जमा करने के लिए लम्बी दूरी तय करने की आवश्यकता न पड़े।

(iv) राज्य शहरी आजीविका मिशन और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रतीक्षा सूची में सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को, प्रशिक्षण कार्यक्रम के आरम्भ होने, प्रशिक्षण केन्द्र की अवस्थिति, पात्रता मानदण्डों, कोर्स अवधि आदि की सूचना उपलब्ध सूचना-संचार माध्यमों, जैसे कि एसएमएस, पत्र, जनसूचना, स्वयं सहायता समूह और उनके क्षेत्र स्तरीय संघों आदि के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(v) शहर के लिए प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम कैलेन्डर का निर्धारण करते समय प्रतीक्षा सूची के अनुसार किसी विशेष शाखा की मांग को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(vi) प्रतीक्षा सूची में सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के अतिरिक्त, प्रत्याशियों की पहचान शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अन्य माध्यमों से भी की जा सकती है जैसे कि शिविरों का आयोजन, पंजीकरण-अभियान, स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रायोजन आदि। तथापि, प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत अभ्यर्थीयों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(vii) यदि सम्भावित अभ्यर्थियों द्वारा किसी ऐसे कौशल प्रशिक्षण की मांग की जा रही हो जिसके लिए शहरी स्थानीय निकायों के पैनल में सक्षम प्रशिक्षण प्रदाता उपलब्ध न हों तो शहरी स्थानीय निकाय राज्य शहरी आजीविका मिशन और स्थानीय उद्योग संघ के साथ परामर्श करके ऐसे कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं की व्यवस्था करेंगे।

(viii) प्रशिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व, समस्त संभावित अभ्यर्थियों हेतु एक सलाह-सत्र का आयोजन किया जायेगा। जिसमें भावी अभ्यर्थियों को उपलब्ध प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अर्हता-मानकों आदि के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया जायेगा।

(ix) इस चरण में लाभार्थियों से एक सूचना तथा आवेदन फार्म भरवाया जायेगा जिसमें अभ्यर्थियों से संबंधित समस्त सूचनाएं जैसे कि शैक्षिक योग्यता, बीपीएल स्थिति, निवास स्थान का पता तथा सम्पर्क का अन्य विवरण आदि एकत्रित किये जायेंगे। इन दस्तावेजों के आधार पर ही उनके लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्धारण किया जायेगा।

(x) शहरी स्थानीय निकाय संभावित प्रत्याशियों को सूचना प्रदान किये जाने हेतु स्लम क्षेत्रों में मासिक नियोजन मेलों, रोजगार मेलों आदि का आयोजन भी कर सकते हैं।